उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी-10 /तक0प्रको0/2017–18 दिनांक– 24-4-2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय–**अति दोहित, क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में ऋण वितरण।**

शासन द्वारा अपने पत्र सं0–5/1373/62–1–2014–04 आर/2009 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 द्वारा भूगर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च 2011 पर आधारित आंकलन के अनुसार अति दोहित, क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की सूची प्रेषित की है जिसके अनुसार 111 विकास खण्ड अति दोहित, 68 विकास खण्ड क्रिटिकल तथा 82 विकास खण्ड सेमी क्रिटिकल में है।(सूची संलग्न)उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में अन्य सभी विकास खण्ड सुरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये है।

अति दोहित, क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में भू–स्तरीय जल एवं रिप्लेसमेंट ऑफ पम्पसेट हेतु ऋण वितरण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त बोरिंग पम्पसेट, नलकूप व निःशुल्क बोरिंग हेतु क्रिटिकल एवं सेमी क्रिटिकल ब्लाक की योजनायें बनाकर प्रधान कार्यालय प्रेषित करें ताकि योजनाओं की स्वीकृति नाबार्ड से कराई जा सके। नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही क्रिटिकल व सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में उपरोक्त योजनान्तर्गत ऋण वितरण किया जायेगा। सुरक्षित श्रेणी के विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजनान्तर्गत सभी योजनाओं में ऋण वितरण किया जा सकता है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(श्रीकांत गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु प्रेषित–

1.समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2.उप महाप्रबंधक(आई0टी0 सेल) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबंधक(तक0)